Meticulous Investigation & Prosecution

Operation Conviction

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी महताब को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

BAGHPAT POLICE

अवगत कराना है कि अभियुक्त महताब पुत्र नवाब निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0-141/2019 धारा 363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल न्यायधीश पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त महताब को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त महताब को धारा 7/8 पोस्को एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री नरेंद्र सिंह पंवार एडीजीसी जनपद बागपत

आरक्षी विनोद कुमार कोर्ट पैरोकार थाना बालैनी

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

मारपीट करने वाले आरोपी सुशील को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 3000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त सुशील पुत्र तेज सिंह उर्फ तेजा निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 311/20 धारा 452/376/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुशील को दोषी पाते हुए धारा 323 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323/506 भादवि में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुशील को धारा 376/504 भादवि में दोषमुक्त किया गया है

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   Baghpat police   baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 19.02.2024

स्वाट टीम बागपत व थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी कर प्रश्नपत्र के नाम पर फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर लोगों से रूपये ऐंठने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 04 कूटरचित प्रश्नपत्र उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की छायाप्रति, 04 मार्कशीट, 01 सनद, 02 एडमिट कार्ड, एक जाति प्रमाण पत्र, 03 मोबाइल फोन, 1800 रुपये नकद व एक मोटर साईकिल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत स्वाट टीम एवं थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उत्तरप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी पुलिस की आयोजित कराई जा रही परीक्षा में अभ्यर्थियो से मूल प्रश्नपत्र के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर लोगों से रुपये हड़पने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया गया है। जिनके कब्जे से 04 कूटरचित प्रश्नपत्र उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की छायाप्रति, 04 मार्कशीट, 01 सनद, 02 एडमिट कार्ड, एक जाति प्रमाण पत्र, 03 मोबाइल फोन, 1800 रुपये नकद व एक मोटर साईकिल नं0 DL5CR5458 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राजेश कुमार पुत्र लालबहादुर निवासी गांव अलीशाहपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर हाल पता किरायेदार निवासी गली नं0 13 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
2-राजन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
3-मोनू उर्फ मनीष कुमार पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम कुरडी थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-कार्तिक पुत्र श्रवण कुमार निवासी गली नं0 07 ए ब्लाक गोकलपुर नार्थ ईस्ट दिल्ली।

बरामदगी का विवरण -

- **04 कूटरचित उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र ।**
- **01 सनद ।**
- **04 मार्कशीट ।**
- **01 जाति प्रमाण पत्र ।**
- **02 एडमिट कार्ड उ0प्र0 पुलिस भर्ती ।**
- **03 मोबाइल फोन ।**
- **01 मो0सा0 सुपर स्प्लेण्डर नं0 DL5SCR5458**
- **1800 रुपये नकद ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह पलावत, प्रभारी स्वाट टीम बागपत ।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
3-है0का0 504 विकास कुमार(स्वाट टीम) ।
4-है0का0 489 सुनील कुमार(स्वाट टीम) ।
5-का0 25 राजीव कुमार(स्वाट टीम) ।
6-का0 375 मोनू शर्मा(स्वाट टीम) ।
7-है0का0 435 दीपक कुमार(स्वाट टीम) ।

प्रेस नोट

जनपद बागपत **दिनाँक 19.02.2024**

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1- उमेद पुत्र कलवा निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मिन्टू पुत्र रमेश निवासी पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-विट्टू उर्फ विजय पुत्र अशोक निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम।

2-थाना छपरौली पुलिस टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर   दिनाँक 19.02.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ताजीम उर्फ आरिफ पुत्र किशमुद्दीन निवासी ग्राम भोपुरा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 289 सतेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-है0का0 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।